रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 880] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939
No. 880] NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2017

का.आ. 987(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति) नियम, 2010 को अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय बैंक और समर्थित बैंकों से परामर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुमोदित" अधिकरण से अभिप्रेत है जो बैंककारी कार्मिक चयन संस्थान या केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अन्य अधिकरण से है-

(i) प्रथम अनुसूची के क्रम संख्यांक 1, 2 और 3 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'क' पदों की सीधी भर्ती द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा (लिखित या ऑनलाइन) और साक्षात्कार कराना; और

(ii) प्रथम अनुसूची के क्रम संख्या 6 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'ख' पदों के लिए परीक्षा (लिखित या ऑनलाइन) कराना;

(ग) "समिति" से इन नियमों के नियम, 8 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूचियों में से कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(ड.) "समर्थक बैंक" से अभिप्रेत है जो दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समर्थक बैंक जो तदनुरूपी दूसरी अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को समर्थन करते हैं, है।

(2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु उन अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए अधिनियम में क्रमश: दिया गया है।

3. पदों का प्रवर्ग- पदों का प्रवर्ग जिसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है, प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में जैसा कि यथाविनिर्दिष्ट किया गया है।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, समनुदेशित कार्य या कृत्यों और अधिकारी के स्केल पर निर्भर करते हुए अधिकारियों को अध्यक्ष द्वारा कृत्यकारी रूप से शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक या महाप्रबंधक के तौर पर पदाभिहित किया जा सकेगा।

4. पदों का सृजन: बोर्ड समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक ऐसी संख्या में पदों का सृजन कर सकेगा तथा सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित कर सकेगा।

5. नियुक्ति की पद्धति: (1) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अधीन प्रथम सूची में निर्दिष्ट पदों के लिए नियुक्ति इन नियमों में और तीसरी अनुसूची में निहित प्रावधानों के अनुरूप की जाए।

(2) राष्ट्रीय बैंक समय-समय पर केंद्रीय सरकार के परामर्श से व्यापक नीतियां तैयार करेंगे जिसमें परीक्षा के चरण निर्धारित करना, सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार पैनल का गठन और नियम 9 के उप नियम (1) के लिए परंतुक के अंतर्गत अभ्यर्थियों की आरक्षित सूची का प्रतिशत अवधारण करने सहित परीक्षा कराने का तरीका और अनुमोदन प्राप्त अभिकरण साक्षात्कार कराना सम्मिलित है।

(3) जहां पर प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 1, 2, 3 और 6 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट किसी पद के लिए परीक्षा अनुमोदन प्राप्त अभिकरण द्वारा दो चरणों में संचालित की जाती है, परीक्षा के द्वितीय चरण (लिखित या ऑनलाइन) में अर्जित अंक परीक्षा के लिए औचित्य (वेटेज) के लिए विचार किए जाएंगे और अभ्यर्थी उस परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर, जहां कहीं भी लागू हो, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे।

(4) अनुमोदित अभिकरण परीक्षा और साक्षात्कार कराने के पश्चात् नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अग्रेषित करेगी।

(5) पहली अनुसूची के क्रम संख्यांक 1, 2, 3, 4 और 5 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'क' पद और पहली अनुसूची के क्रम संख्या 6 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'ख' पद प्रोन्नति के लिए न्यूनतम वर्ष सेवा वर्ष के 1 अप्रैल से गणना की जाएगी जिसकी रिक्ति या उद्भूत या वास्तविक रूप से उद्भूत की गयी है, आशयित है।

IndiaCode

6. नियुक्ति प्राधिकारी: समूह 'क' के संबंध में अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा और समूह 'ख' और समूह 'ग' के संबंध में महाप्रबंधक नियुक्ति प्राधिकारी होगा, यदि ऐसा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए:

परंतु यदि महाप्रबंधक के पद पर कोई पदधारी नहीं है तो समूह 'ख' और समूह 'ग' के संबंध में भी अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, 'महाप्रबंधक' पद से अभिप्रेत है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वह अधिकारी प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 4 के सामने स्तम्भ (3), में विनिर्दिष्ट वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी के स्तर (स्केल-IV) से कम पंक्ति का न हो और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा इस प्रकार से पदनामित अथवा जो कि अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) के पहले परंतुक के अंतर्गत समर्थक बैंक का ऐसा कोई अधिकारी हो।

7. समूह 'ग' पदों के लिए भर्ती: समूह 'ग' के पद प्रादेशिक ग्रामीण बैंक द्वारा रोजगार कार्यालय, सैनिक बोर्ड या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्ग के कल्याण का ध्यान रखने वाले अन्य ऐसे अभिकरणों के प्रति निर्देश से भरे जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिसकी पद भरने वाले प्रादेशिक ग्रामीण बैंक पर अधिकारिता है:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा।

परंतु यह और कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के रोजगार कार्यालय के माध्यम से कर्मचारीवृंद की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर जारी अनुदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में, जहां तक सुसंगत हों, इन नियमों पर लागू होंगे।

IndiaCode

8. समिति का गठन: (1) बोर्ड उक्त अनुसूची में अंतर्विष्ट दिए गए उपबंधों के अनुसार समूह 'क' और समूह 'ख' की प्रोन्नति के लिए और समूह 'ग' के लिए अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को सिफारिश के उद्देश्य हेतु, उक्त सूची के तदनुरूपी स्तम्भ (2) में पदों के सामने, अनुसूची 3 के स्तम्भ (9) या (6) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति का समय-समय पर गठन कर सकेगा।

(2) बोर्ड उप नियम (1) के अधीन गठित की गई किसी ऐसी समिति का कार्यकाल अवधारित करेगा।

9. सीधी भर्ती और प्रोन्नति के लिए पैनल की विधिमान्यता: (1) प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 1, 2, और 3 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'क' पदों और प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 6 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'ख' पदों की सीधी भर्ती के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों का एक पैनल अनुमोदन प्राप्त अभिकरण के द्वारा तैयार किया जाएगा और प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 7 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'ग' पदों की सीधी भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों और समूह 'क' और समूह 'ख' पदों की प्रोन्नति के लिए पैनल समिति द्वारा तैयार किया जाएगा:

परंतु सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों की एक आरक्षित सूची, अधिसूचित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रवर्ग में कम से कम दो अभ्यर्थी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग) से चुने जाएंगे।

(2) चयनित अभ्यर्थियों का पैनल, आरक्षित सूची सहित उप नियम (1) को निर्दिष्ट है, जो योग्यता सूची के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि या नया पैनल चुने जाने तक जो भी पूर्ववर्ती, के लिए विधिमान्य होगा।

10. प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने का क्षेत्र: जहां पर किसी पद के लिए प्रोन्नति सामान्य चैनल के साथ-साथ फास्ट ट्रैक चैनल दोनों के अंतर्गत की जाती है, सामान्य चैनल में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के 3 गुना पर विचार किया जाएगा और फास्ट ट्रैक चैनल के मामले में आवर्तक (रिपीटर) व्यक्तियों सहित सभी पात्र अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा।

परंतु साधारण चैनल के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों पर फास्ट ट्रैक चैनल के अंतर्गत भी विचार किया जाएगा।

11. प्रोन्नति वाले पदों की रिक्तियों का भरा जाना: (1) प्रसामान्य चैनल के लिए उदृिष्ट की गई रिक्तियों को फास्ट ट्रैक चैनल के अंतर्गत की रिक्तियों के भरे जाने के पश्चात् भरा जाएगा।

(2) फास्ट ट्रैक चैनल के लिए अलग रखी गई रिक्तियां जो उस चैनल से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या चयन न होने से रिक्त रह गई हैं, समाप्त हो जाएंगी और उक्त रिक्तियां सामान्यचैनल के द्वारा भरी जाएंगी।

12. प्रोन्नति में परस्पर सह-ज्येष्ठता: तृतीय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट पदों की प्रोन्नति के मामले में परस्पर सह-वरिष्ठता प्रसामान्य चैनल या फास्ट ट्रैक चैनल में उनके द्वारा भरे जाने वाले पदों के माध्यम से चुने गए पैनल से संबद्ध अभ्यर्थियों के संबंध में अपरिवर्तित बने रहेंगे।

13. आरक्षण और शिथलीकरण: (1) इन नियमों का अनुसरण करते समय, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में सुसंगत होने की सीमा तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के उपबंध लागू होंगे।

(2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के लोगों के लिए विभिन्न शर्तों की छूट का उपाबंध कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में, जहां तक युक्तिसंगत हो, ये नियम लागू होंगे।

(3) पूरी सेवा अवधि के दौरान एक वर्ष की सेवा की एक-बारगी छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्होंने प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 1, 2 और 3 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट समूह 'क' पदों के लिए सामान्य चैनल या फास्ट ट्रैक चैनल दोनों के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु भारतीय बैंककारी और वित्त संस्थान की भारतीय बैंककार संस्थान की कनिष्ठ सहायक (जेएआईआईबी) परीक्षा उत्तीर्ण की है और एक वर्ष की अतिरिक्त छूट ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्होंने भारतीय बैंककारी और वित्त संस्थान की भारतीय बैंककार की प्रामाणिक सहायक (सीएआईआईबी) परीक्षा उत्तीर्ण की है।

14. निर्वचन की शक्ति: इन नियमों के निर्वचन की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होगी और केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से ऐसे प्रशासनिक अनुदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो इन नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने या उनके कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हों।

पहली अनुसूची

(नियम 3 देखें)

प्रत्येक प्रादेशिक ग्रामीण बैंक में पदों का प्रवर्ग

क्रम संख्यांक	वर्गीकरण	पद का प्रवर्ग	पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	समूह 'क'	कनिष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल I)	सहायक प्रबंधक
2	समूह 'क'	मध्य प्रबंध अधिकारी (स्केल II)	प्रबंधक

3	समूह 'क'	मध्य प्रबंध अधिकारी (स्केल III)	ज्येष्ठ प्रबंधक
4	समूह 'क'	ज्येष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल IV)	मुख्य प्रबंधक
5	समूह 'क'	ज्येष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल V)	सहायक महाप्रबंधक
6	समूह 'ख'	कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय)	कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय)
7	समूह 'ग'	कार्यालय परिचर (बहुउद्देशीय)	कार्यालय परिचर (बहुउद्देशीय)

दूसरी अनुसूची

[नियम 2 (1)(ड.) देखें]

प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों और उनके समर्थक बैंकों की सूची

क्रम संख्यांक	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का नाम	समर्थक बैंक	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	आंध्र प्रदेश
2	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	आंध्र प्रदेश
3	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	आंध्रा बैंक	आंध्र प्रदेश
4	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक	आंध्र प्रदेश
5	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	अरूणाचल प्रदेश
6	असम ग्रामीण विकास बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असम
7	लेंगपई देहांगी ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	असम
8	बिहार ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	बिहार
9	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	बिहार
10	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बिहार
11	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	छत्तीसगढ़
12	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	गुजरात
13	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	देना बैंक	गुजरात
14	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	गुजरात
15	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	हरियाणा
16	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	हिमाचल प्रदेश
17	इलाक्वई देहाती बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	जम्मू-कश्मीर
18	जे एंड के ग्रामीण बैंक	जे एंड के बैंक लि.	जम्मू-कश्मीर
19	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	झारखण्ड
20	वनांनचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	झारखण्ड
21	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक
22	कावेरी ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कर्नाटक
23	प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक
24	केरल ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	केरल
25	सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
26	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मध्य प्रदेश

IndiaCode

27	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	मध्य प्रदेश
28	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
29	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र
30	मणिपुर रुरल बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	मणिपुर
31	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मेघालय
32	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	मिजोरम
33	नागालैण्ड ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	नागालैण्ड
34	ओडिशा ग्राम्य बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	ओडिशा
35	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	ओडिशा
36	पुदुवई भर्थियार ग्राम बैंक	इंडियन बैंक	पुदुचेरी
37	मालवा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	पंजाब
38	पंजाब ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	पंजाब
39	सतलुज ग्रामीण बैंक	पंजाब एंड सिंध बैंक	पंजाब
40	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	राजस्थान
41	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	राजस्थान
42	पल्लवन ग्राम बैंक	इंडियन बैंक	तमिलनाडु
43	पांड्यन ग्राम बैंक	इंडियन ओवरसीज बैंक	तमिलनाडु
44	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	तेलंगाना
45	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	त्रिपुरा
46	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	इलाहाबाद बैंक	उत्तर प्रदेश
47	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	उत्तर प्रदेश
48	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यवर्त	बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
49	काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	उत्तर प्रदेश
50	प्रथमा बैंक	सिंडिकेट बैंक	उत्तर प्रदेश
51	पूर्वांचल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तर प्रदेश
52	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	पंजाब नैशनल बैंक	उत्तर प्रदेश
53	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक	उत्तराखण्ड
54	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	पश्चिमी बंगाल
55	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक	यूको बैंक	पश्चिमी बंगाल
56	उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	पश्चिमी बंगाल

IndiaCode

तीसरी अनुसूची

[नियम 5(1), 8(1) और 12 देखें]

सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा भर्ती

क्र.सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती हेतु अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कनिष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल 1) समूह 'क'	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% प्रोन्नति द्वारा;	**आवश्यक अर्हता**: (I) किसी विद्या शाखा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री या इसके	18 वर्ष से ऊपर किन्तु 30 वर्ष से नीचे (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के

		(ii) प्रोन्नति की रिक्तियों के 50% को साधारण चैनल और 50% को फास्ट ट्रैक चैनल के अंतर्गत भरा जाएगा।	समतुल्य। **टिप्पण:** उन अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी, जो कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, पशु विज्ञान, कृषि इंजीनियरी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंध, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा विद्या में डिग्री रखता है; (II) स्थानीय भाषा में निपुणता। **टिप्पण 1:** जिन अभ्यर्थियों ने कक्षा VIII अथवा उससे उच्चतर शिक्षा बोर्ड अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से राज्य की भाषा का अध्ययन किया हो अथवा कक्षा VIII अथवा उससे उच्चतर का कोई प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को स्थानीय भाषा में निपुण समझा जाएगा। **टिप्पण 2**: (i) उन अभ्यर्थियों को जिन्हें चयन के समय स्थानीय भाषा में कुशलता प्राप्त न हो, कुशलता प्राप्त करने हेतु कार्यग्रहण करने की तारीख से छह महीने तक का समय दिया जाएगा। (ii) बोर्ड के द्वारा छह महीने की अवधि को और 6 महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जिसे किसी समय पर लिखित में कारण व्यक्त करते हुए छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि परिवीक्षा की अवधि से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। **वांछनीय**: कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान	अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)

सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए पात्रता	प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया	पदोन्नति के लिए समिति की संरचना
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) चयन प्रक्रिया में परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) और साक्षात्कार शामिल है; (ii) परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) तथा साक्षात्कार में अंकों का विभाजन निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा: 1 \| परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) \| 80 अंक* 2 \| साक्षात्कार \| 20 अंक*	प्रोन्नति निम्नलिखित अनुभव और/अर्हता वाले ऐसे कर्मचारियों में से की जाएगी जो पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) का पद धारण करता है। **(I) प्रसामान्य चैनल:** (i) पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए;	(i) चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अंतिम पांच वर्ष की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, जिनका अंक प्रभाजन नीचे दिया गया है: 1 \| लिखित परीक्षा \| 50 अंक 2 \| साक्षात्कार \| 20 अंक 3 \| अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट \| 30 अंक 4 \| कुल \| 100 अंक (ii) लिखित में परीक्षा सामान्य अंग्रेजी या हिंदी और सामान्य बैंककारी जानकारी की परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा के आबंटित किए गए 50 अंकों को और	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. संबंध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समर्थक बैंक द्वारा नामित बैंक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे नहीं होंगे - सदस्य 3. राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट बैंक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे नहीं होंगे - सदस्य

3	कुल	100 अंक

*का विवक्षित महत्व है

(iii) परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) में अपनी योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु रिक्तियों की कुल संख्या के 3:1 के अनुपात तक बुलाया जाएगा;

(iv) साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अपनी योग्यता के क्रम में विचारार्थ पात्र होंगे (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार साक्षात्कार में न्यूनतम 35% अंकों पर विचार किया जाएगा);

(v) अभ्यर्थियों के अनंतिम आबंटन हेतु परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित निष्पादन के आधार पर उनको प्रदान की गई पंक्ति के आधार पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की सूची अलग-अलग बनायी जाएगी, (योग्यता तथा अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई उपलब्ध वरीयता के आधार पर अलग राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार योग्यता सूची बनायी जाएगी)।

(ii) उसकी पोषक ग्रेड पद पर पुष्टि हो गई हो।

(II) फास्ट ट्रैक चैनल:

(i) पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) के रूप में छह वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से बेचलर उत्तीर्ण होना चाहिए;

(iii) उसकी पोषक ग्रेड पद पर पुष्टि हो गई होनी चाहिए।

विभाजित किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं:

1	सामान्य अंग्रेजी या हिंदी	20 अंक
2	सामान्य बैंककारी ज्ञान	30 अंक
3	कुल	50 अंक

(iii) प्रसामान्य चैनल के मामले में,-

(क) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी;

(ख) प्रोन्नति के लिए पोषक ग्रेड में सफल अभ्यर्थियों का चयन पोषक ग्रेड में ऊपर से प्रारंभ होकर ज्येष्ठता के घटते हुए उनके क्रम में बनाई जाएगी।

(iv) फास्ट ट्रैक चैनल के मामले में,-

(क) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के 60 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी;

(ख) प्रोन्नति के लिए चयन पोषक श्रेणी में सफल अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर होगा जो अभ्यर्थियों की योग्यता के घटते हुए क्रम में रखा जाएगा।

(v) दोनों चैनलों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा।

टिप्पण: यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामित कर सकेगा।

क्रम सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	अधिकारी मध्य प्रबंध (स्केल II) समूह 'क'	(i) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) सीधी भर्ती के 25 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत विशेषीकृत संवर्ग अर्थात्, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, खजाना, विधि, विपणन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि और 15 प्रतिशत अनुभवी अधिकारियों में से व्यक्ति (iii) प्रोन्नति की रिक्तियों के 50% को साधारण चैनल और 50% को फास्ट ट्रैक चैनल के अंतर्गत भरा जाएगा।	(I) सूचना प्रौद्योगिकी: (i) न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकस/संचार/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बेचलर डिग्री या समतुल्य; और (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** एएसपी, पीएचपी, सी++,	21 वर्ष से ऊपर किन्तु 32 वर्ष से नीचे (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)

			जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी इत्यादि में प्रमाणपत्र। (II) चार्टर्ड अकाउंटेंट: चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। (III) विधि अधिकारी: (i) न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचलर डिग्री या समतुल्य; और (ii) अधिवक्ता के रूप में दो वर्ष का अनुभव अथवा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में विधि अधिकारी के रूप में कार्य किया हो और यह अवधि दो वर्ष से कम न हो। (IV) खजाना प्रबंधक: सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ किसी प्रसिद्ध संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा वित्त में एमबीए। (V) पणन अधिकारी: सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ किसी प्रसिद्ध संस्थान से विपणन में एमबीए। (VI) कृषि अधिकारी: (i) न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि, बागवानी, डेयरी, पशुपालन, वानिकी, पशु विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन की किसी भी शाखा में बेचलर डिग्री अथवा समतुल्य; और (ii) सुसंगत क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। (VII) सामान्य बैंककारी अधिकारी: (i) न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में बेचलर डिग्री अथवा समतुल्य; और (ii) किसी बैंक अथवा वित्तीय	

IndiaCode

			संस्था में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण: बैंककारी, वित्त, विपणन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, पशु विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा में डिग्री अथवा डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।	

सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए पात्रता	प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए समिति की संरचना
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) परीक्षा (लिखित या ऑनलाइन) और नीचे दिए गए अंकों के प्रभाग के अनुसार परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा: 1 \| परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) \| 80 अंक* 2 \| साक्षात्कार \| 20 अंक* 3 \| कुल \| 100 अंक *का विवक्षित महत्व है (ii) परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) में अपनी योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए रिक्तियों की कुल संख्या के 3:1 के अनुपात तक बुलाया जाएगा; (iii) साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अपनी मैरिट के क्रम में विचारार्थ पात्र होंगे (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार साक्षात्कार में न्यूनतम 35% अंकों पर विचार किया जाएगा); (iv) अभ्यर्थियों के अनंतिम आबंटन के लिए परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित निष्पादन के आधार पर उनको प्रदान की गई पंक्ति के आधार	प्रोन्नति निम्नलिखित अनुभव और/अर्हता वाले ऐसे अधिकारियों में से की जाएगी जो कनिष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल-I) का पद धारण करता है। **(I) प्रसामान्य चैनल:** (i) पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कनिष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल-I) के रूप में आठ वर्ष का अनुभव होना चाहिए; (ii) उसकी पोषक ग्रेड पद पर पुष्टि हो गई हो। **(II) फास्ट ट्रैक चैनल:** (i) पूर्णकालिक और नियमित आधार पर कनिष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल-I) के रूप में छह वर्ष का अनुभव होना चाहिए; (ii) उसकी पोषक श्रेणी पद पर पुष्टि हो गई होनी चाहिए।	(i) चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अंतिम पांच वर्ष की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, जिनका अंक प्रभाजन नीचे दिया गया है: 1 \| लिखित परीक्षा \| 50 अंक 2 \| साक्षात्कार \| 20 अंक 3 \| अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट \| 30 अंक 4 \| कुल \| 100 अंक (ii) 50 अंकों को और विभाजित किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं: 1 \| भाग (क) \| 25 अंक 2 \| भाग (ख) \| 25 अंक (iii) अभ्यर्थियों को दो भागों में अर्थात् (क) बैंककारी विधि और बैंककारी उपयोग करने वाला भाग (ख) ऋण नीति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र सहित ऋण प्रबंधन, अर्थशास्त्र और प्रबंधन अच्छादित करने वाला भाग (iv) प्रसामान्य चैनल के मामले में,- (क) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी; (ख) प्रोन्नति के लिए पोषक श्रेणी में सफल अभ्यर्थियों का चयन पोषक श्रेणी में ऊपर से प्रारंभ होकर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में बनाई जाएगी।	**समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. संबंधित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समर्थक बैंक द्वारा नामित बैंक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक के पंक्ति से नीचे नहीं होंगे - सदस्य 3. राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट बैंक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति के नीचे नहीं होंगे - सदस्य **टिप्पण:** यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामित कर सकेगा।

पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की सूची अलग-अलग बनायी जाएगी।		(v) फास्ट ट्रैक चैनल के मामले में,- (क) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के 60 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी; (ख) प्रोन्नति के लिए चयन पोषक श्रेणी में सफल अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर होगा जो अभ्यर्थियों की योग्यता के घटते हुए क्रम में रखा जाएगा। (vi) दोनों चैनलों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा।	

क्रम सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	अधिकारी मध्य प्रबंध (स्केल III) समूह 'क'	(i) 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 90 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) प्रोन्नति की रिक्तियों के 50% को साधारण चैनल तथा 50% को फास्ट ट्रैक चैनल के अंतर्गत भरा जाएगा।	(i) न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में बेचलर डिग्री अथवा समतुल्य; और (ii) किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण: बैंककारी, वित्त, विपणन, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशुपालन, पशु विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन, कृषि विपणन और सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विधि, अर्थशास्त्र और लेखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।	40 वर्ष से नीचे (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य आरक्षित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)

सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए पात्रता	प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया	पदोन्नति के लिए समिति की संरचना
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) चयन में परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) और साक्षात्कार शामिल है; परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) और साक्षात्कार में अंकों का विभाजन निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा: 1 \| परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) \| 80 अंक*	प्रोन्नति निम्नलिखित अनुभव और/अर्हता वाले ऐसे अधिकारियों में से की जाएगी जो मध्य प्रबन्ध अधिकारी (स्केल-II) का पद धारण करता है। **(I) प्रसामान्य चैनल:** (i) पूर्णकालिक और नियमित आधार पर मध्य प्रबंध अधिकारी (स्केल-II) के रूप में	**प्रसामान्य चैनल:** (i) चयन साक्षात्कार तथा अंतिम छह वर्ष की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, जिनका अंक प्रभाजन नीचे दिया गया है: साक्षात्कार — 40 अंक अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट — 60 अंक कुल — 100 अंक	**समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे अर्थात्:-** 1. संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष-अध्यक्ष 2. प्रायोजक बैंक द्वारा नामित बैंक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक के रैंक से नीचे नहीं होंगे-सदस्य 3. राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट बैंक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति

2	साक्षात्कार	20 अंक*
3	कुल	100 अंक

*का विवक्षित महत्व है

(ii) परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) में अपनी योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु रिक्तियों की कुल संख्या के 3:1 के अनुपात तक बुलाया जाएगा;

(iii) साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अपनी योग्यता के क्रम में विचारार्थ पात्र होंगे (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार साक्षात्कार में न्यूनतम 35% अंकों पर विचार किया जाएगा);

(iv) अभ्यर्थियों के अनंतिम आबंटन के लिए परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित निष्पादन के आधार पर उनको प्रदान की गई पंक्ति के आधार पर सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की सूची अलग-अलग बनायी जाएगी।

सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

(ii) उसकी पोषक श्रेणी पद पर पुष्टि हो गई हो।

(II) फास्ट ट्रैक चैनल:

(i) पूर्णकालिक और नियमित आधार पर मध्य प्रबंध अधिकारी (स्केल-II) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए;

(ii) उसकी फीडर ग्रेड पद पर पुष्टि हो गई होनी चाहिए।

(ii) प्रोन्नति के लिए अंक प्रदान करने के प्रयोजन के लिए पिछले छह वर्षों की कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।

फास्ट ट्रैक चैनल:

(i) चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार अंतिम छह वर्ष की कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, जिनका अंक प्रभाजन नीचे दिया गया है:

लिखित परीक्षा	50 अंक
साक्षात्कार	20 अंक
अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट	30 अंक
कुल	100 अंक

(ii) लिखित परीक्षा के आबंटित किए गए 50 अंकों को और विभाजित किया जाएगा जो निम्नलिखित हैं:

भाग (क)	25 अंक
भाग (ख)	25 अंक

(iii) अभ्यर्थियों को एक लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा जो कि दो भागों से बना होगा अर्थात्:-

भाग (क) बैंककारी विधि और बैंककारी का व्यवसाय को आच्छादित करने वाला;

भाग (ख) ऋण नीति, प्राथमिकता प्राप्त सेक्टर सहित ऋण प्रबंधन, अर्थशास्त्र और प्रबंधन को आच्छादित करने वाला।

(iv) साधारण चैनल के मामले में,-

(क) साक्षात्कार के 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी;

(ख) अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी;

(ग) साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के कुल योग के 50 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी; और

(घ) प्रोन्नति के लिए पोषक श्रेणी में सफल अभ्यर्थियों का चयन पोषक श्रेणी में ऊपर से प्रारंभ होकर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में बनाई जाएगी।

(v) फास्ट ट्रैक चैनल के मामले में,-

(क) लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट के 60 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता होगी;

(ख) प्रोन्नति के लिए चयन पोषक श्रेणी में

के नीचे नहीं होंगे-सदस्य

टिप्पण: यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामित कर सकेगा।

		सफल अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुपालन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर होगा जो अभ्यर्थियों की योग्यता के घटते हुए क्रम में रखा जाएगा।	

क्रम सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	ज्येष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल IV) समूह 'क'	प्रोन्नति द्वारा शत प्रतिशत	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए पात्रता	प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए समिति की संरचना
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति की जाएगी जो पूर्णकालिक और नियमित आधार पर मध्य प्रबंध (स्केल-III) का पद धारण कर रहे हों और उक्त पद में चार वर्ष का अनुभव रखते हों।	(i) चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती चार वर्षों के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में संयुक्त निष्पादन के आधार पर नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार होगा : साक्षात्कार — 40 अंक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट — 60 अंक योग — 100 अंक (ii) प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन पोषक श्रेणी में साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में प्राप्त अंकों के योग पर आधारित योग्यता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों में से किया जाएगा।	**समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात:-** 1. संबद्ध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष - अध्यक्ष 2. समर्थक बैंक द्वारा नामित बैंक अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे नहीं होंगे अर्थात् - सदस्य 3. राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो सहायक महाप्रबंधक की पंक्ति से नीचे नहीं होंगे - सदस्य **टिप्पण:** यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामित कर सकेगा।

क्र. सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	ज्येष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल-V) समूह 'क'	प्रोन्नति द्वारा शत प्रतिशत	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए पात्रता	प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए समिति की संरचना
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति, ज्येष्ठ प्रबंध अधिकारी (स्केल-IV) के पद को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारियों में से की जाएगी।	(i) चयन, साक्षात्कार में और पूर्ववर्ती छह वर्ष के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में संयुक्त निष्पादन के आधार पर नीचे दिए गए अंकों की श्रेणी के अनुसार होगा: साक्षात्कार — 40 अंक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट — 60 अंक योग — 100 अंक (ii) प्रोन्नति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची साक्षात्कार और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के संयुक्त निष्पादन के आधार पर पोषक पद वाले पात्र अभ्यर्थियों में से योग्यता के क्रम में की जाएगी।	**समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-** 1. समर्थक बैंक के प्रादेशिक ग्रामीण बैंक प्रभाग का महाप्रबंधक - अध्यक्ष 2. समर्थक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उसी प्रायोजक बैंक के प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का एक अध्यक्ष - सदस्य 3. महाप्रबंधक की पंक्ति से अन्यून राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य **टिप्पण:** यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या समर्थक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त हैसियत के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

IndiaCode

क्र. सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती हेतु अर्हता	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) समूह 'ख'	(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% प्रोन्नति द्वारा; (ii) प्रोन्नति हेतु रिक्तियों के 70% को प्रसामान्य चैनल तथा 30% को फास्ट ट्रैक चैनल के तहत भरे जाएंगे।	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी विद्या शाखा में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री या इसके समतुल्य; (ii) स्थानीय भाषा में निपुणता। **टिप्पण 1**: वह अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षा बोर्ड में या सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय में VIIIवीं या उससे ऊपर की कक्षा में राज्य की भाषा का अध्ययन किया है या वह अभ्यर्थी जिनके पास VIIIवीं या उससे ऊपर की कक्षा का प्रमाण-पत्र है, को उस स्थानीय भाषा में कुशल माना जाएगा। **टिप्पण 2**: (i) उन अभ्यर्थियों को जिन्हें चयन के समय स्थानीय भाषा में कुशलता प्राप्त न हो, कुशलता प्राप्त करने हेतु कार्यग्रहण करने की तारीख से छह महीने तक का समय दिया जाएगा। (ii) बोर्ड के द्वारा छह महीने की अवधि को और 6 महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जिसे किसी समय पर लिखित में कारण व्यक्त करते हुए छह महीने की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि	18 वर्ष और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय आयु)

			परिवीक्षा की अवधि से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। **वांछनीयः** कंप्यूटर का ज्ञान कार्य।	

सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए पात्रता	प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए समिति की संरचना
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। (लिखित अथवा ऑनलाइन) (ii) समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों के अनंतिम आबंटन के लिए परीक्षा (लिखित अथवा ऑनलाइन) में प्रदर्शन पर प्राप्त पंक्ति के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की सूची सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के लिए (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र गत योग्यता सूची आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये उपलब्ध वरीयता के आधार पर बनाया जायेगा)	निम्नलिखित अनुभव और/अर्हता वाले कार्यालय परिचर (बहुउद्देशीय) का पद वाले कर्मचारियों में से प्रोन्नति की जाएगी। **(I) प्रसामान्य चैनल:-** (i) कार्यालय परिचर (बहुउद्देशीय) के रूप में पूर्णकालिक और नियमित आधार पर दस वर्ष का अनुभव हो; (ii) दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए; (iii) पोषक श्रेणी में पुष्टि होनी चाहिए। **(II) फास्ट ट्रेक चैनल:-** (i) कार्यालय परिचर (बहुउद्देशीय) के रूप में पूर्णकालिक और नियमित आधार पर पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। (iii) उसकी पोषक ग्रेड पद पर पुष्टि हो गई होनी चाहिए।	(i) चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में संयुक्त कार्य निष्पादन के आधार पर नीचे दिए गए अंकों के विभाजन के अनुसार किया जाएगा: लिखित परीक्षा — 70 अंक साक्षात्कार — 30 अंक कुल — 100 अंक (ii) अभ्यर्थियों से ऐसी लिखित परीक्षा में, जिसमें अंग्रेजी या हिंदी और अंकगणित की परीक्षा सम्मिलित होगी, भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा को आबंटित 70 अंक निम्नलिखित प्रकार से पुन: विभाजित होंगे: अंग्रेजी या हिंदी — 35 अंक अंकगणित — 35 अंक कुल — 70 अंक (iii) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल योग का न्यूनतम कट ऑफ 40% होगा। (iv) प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन पृथक रूप से सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उनके लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त अंक के क्रम में सफल अभ्यर्थियों में से होगा। (v) दोनों चैनलों के लिए समान लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा।	समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी अर्थात :- 1. महाप्रबंधक और जहां कोई महाप्रबंधक नहीं है वहां प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - अध्यक्ष 2. संबद्ध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का स्केल 2 की पंक्ति से अन्यून का, बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य 3. प्रायोजक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य 4. राष्ट्रीय बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य **टिप्पण** : यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

क्रम सं.	पद का नाम और वर्गीकरण	नियुक्ति की पद्धति	सीधी भर्ती के लिए अर्हता	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	कार्यालय परिचर (बहुउद्देशीय) समूह 'ग'	सीधी भर्ती द्वारा शत प्रतिशत	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य और ऐसे विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए अन्य अपेक्षित दक्षताएं जो बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाएं।	18 वर्ष और 28 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलनीय)

सीधी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए पात्रता	प्रोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया	प्रोन्नति के लिए समिति की संरचना
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। (ii) लिखित परीक्षा की मॉडलों का निर्धारण समर्थक बैंक से परामर्श करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंधित बोर्ड द्वारा किया जायेगा। (iii) ऐसे परिचर (बहुउद्देशीय) की नियुक्ति के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार लिखित परीक्षा में उन्हें प्रदान की गई पंक्ति के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जाएगी। (iv) समिति निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी अर्थात:- 1. महाप्रबंधक और जहां कोई महाप्रबंधक नहीं है वहां प्रादेशिक ग्रामीण बैंक के बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - अध्यक्ष 2. संबद्ध प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का मान 2 की पंक्ति से अन्यून का, बोर्ड द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

IndiaCode

3. समर्थक बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी - सदस्य **टिप्पण**: यदि समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य नहीं है तो बोर्ड, समिति के अतिरिक्त सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पद के किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।			

[फा. सं. 7/25/2012-आरआरबी]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2017

S.O. 987(E).—In exercise of the powers conferred by section 29 read with section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) and in supersession of the Regional Rural Banks(Appointment and Promotion of Officers and Employees) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consultation with the National Bank and the Sponsor Banks, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Regional Rural Banks (Appointment of Officers and Employees) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) ;

(b) "approved agency" means the Institute of Banking Personnel Selection or any other agency approved by the Central Government for –

(i) conducting examination (written or on-line) and interview for selection of the candidates by direct recruitment to the Group 'A' posts specified in column (3), against serial numbers 1, 2 and 3, of the First Schedule; and

(ii) for conducting examination (written or on-line) to Group 'B' posts specified in column (3), against serial number 6, of the First Schedule ;

(c) "Committee" means the Committee constituted by the Board under rule 8;

(d) "Schedule" means any one of the Schedules to these rules;

(e) "Sponsor Bank" means the Sponsor Bank specified in column (3) of the Second Schedule which sponsors the Regional Rural Banks specified in the corresponding column (2) thereof.

(2) All other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Category of posts.- The category of posts to which officers and employees of the Regional Rural Banks may be appointed shall be as specified in column (3) of the First Schedule.

Explanation.– For the purpose of these rules, the officers may be functionally designated by the Chairman as Branch Manager, Regional Manager or General Manager, depending on the work or functions assigned and the Scale of the Officer.

4. Creation of posts.- The Board may create such number of posts as are necessary and may determine the number of vacancies to be filled by direct recruitment or promotion, keeping in view the provisions of these rules and the guidelines issued by the Central Government from time to time.

5. Method of appointment.- (1) The appointment to the posts specified in the First Schedule may be made in accordance with the provisions contained in these rules and as laid down in the Third Schedule, and subject to such guidelines as may be issued by the Central Government, from time to time.

(2) The National Bank shall frame, from time to time, in consultation with the Central Government, broad policies which will cover manner of conducting examinations and interviews by the approved agency including the stages of examination, composition of the interview panel for direct recruitment and determining the percentage of reserve list of candidates under the proviso to sub-rule (1) of rule 9.

(3) Where an examination for any post specified in column (3), against serial numbers 1, 2, 3 and 6 of the First Schedule is conducted by the approved agency in two stages, the marks obtained at the second stage examination shall be taken into consideration for calculating weightage for the examination (written or online) and the candidates shall be called for interview, wherever applicable, on the basis of the marks obtained in that examination.

(4) The approved agency shall, after conduct of examination and interview, forward the final list of candidates for appointment to the concerned Regional Rural Bank.

(5) The minimum years of service for promotion to the Group 'A' posts specified in column (3), against serial numbers 1, 2, 3, 4, and 5 of the First Schedule and Group 'B' posts specified in column (3), against serial number 6, of the First Schedule shall be reckoned as on the 1st day of April of the year in which the vacancy is expected to arise or has actually arisen.

6. Appointing authority.- The Chairman shall be the appointing authority in respect of Group 'A' posts and the General Manager shall be the appointing authority in respect of Group 'B' and Group 'C' posts, if so authorised by the Board:

Provided that if there is no incumbent to the post of the General Manager, the Chairman shall be the appointing authority in respect of Group 'B' and Group 'C' posts also.

Explanation.—For the purposes of these rules, the expression "General Manager" means an officer of the Regional Rural Bank not below the rank of Officer Senior Management (Scale IV) specified in column (3), against serial number 4 of the First Schedule and designated as such by the Regional Rural Bank or an officer of the Sponsor Bank deputed as such under the first proviso to sub-section (1) of section 17 of the Act.

7. Recruitment to Group 'C' posts.- The Regional Rural Bank shall, in making recruitment to Group 'C' posts, make a reference to the Employment Exchange, the Sainik Board or such other agencies catering to the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Physically Challenged Persons or other special category of persons as are recognised by the Central Government or the State Government having jurisdiction over the Regional Rural Bank:

Provided that preference shall be given to candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or any other special category of persons, in accordance with the instructions or guidelines issued by the Central Government in this regard, from time to time:

Provided further that the instructions on 'recruitment of staff through Employment Exchange' of the Department of Personnel and Training, Government of India, issued from time to time, to the extent relevant in the context of Regional Rural Banks, shall apply to these rules.

8. Constitution of Committee.- (1) The Board may, from time to time, constitute Committees, consisting of the members specified in column (9) or column (6) of the Third Schedule, against the posts in the corresponding column (2) of the said Schedule, for the purpose of recommending to the appointing authority, candidates for appointment by direct recruitment to Group 'C' posts and for promotion to Group 'A' and Group 'B' posts, in accordance with the provisions contained in the said Schedule.

(2) The Board shall determine the tenure of each such Committee constituted under sub-rule (1).

9. Validity of panel for direct recruitment and for promotion.- (1) A panel of selected candidates in respect of direct recruitment to the Group 'A' posts specified in column (3), against serial numbers 1, 2 and 3, of the First Schedule and Group 'B' posts specified in column (3), against serial number 6, of the First Schedule shall be prepared by the approved agency and a panel of selected candidates in the case of direct recruitment to the Group 'C' posts specified in column (3), against serial number 7, of the First Schedule and promotion for Group 'A' and Group 'B' posts shall be prepared by the Committee:

Provided that in the case of direct recruitment, a reserve list of candidates, not exceeding fifty per cent of the notified vacancies, subject to a minimum of two candidates in each category (General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special category), shall be drawn up to meet exigencies.

(2) The panel of selected candidates referred to in sub-rule (1) including the reserve list shall be valid for a period of one year from the date of issue of the merit list or until a fresh panel is drawn, whichever is earlier.

10. Zone of consideration for promotion.- Where promotion to a post is made both under the normal channel as well as the fast track channel, the zone of consideration shall be three times the number of vacancies available in the normal channel; and in case of fast track channel, all eligible candidates including repeaters shall be considered:

Provided that the candidates who are eligible under the normal channel shall also be considered under the fast track channel.

11. Filling up of vacancies to promotional posts.- (1) The vacancies earmarked for the normal channel shall be filled up after the vacancies under the fast track channel are filled up.

(2) The vacancies earmarked for the fast track channel which remain unfilled for want of selection of adequate number of candidates from that channel shall lapse and the said vacancies shall be filled up by way of normal channel.

12. Inter se seniority in promotion.- The *inter se* seniority in the case of promotion to the posts specified in column (2) of the Third Schedule, in respect of all the empanelled candidates selected through the normal channel or the fast track channel in their feeder posts, shall remain unchanged.

13. Reservation and relaxation.- (1) The provisions of reservation policy for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other Special category of persons as per the guidelines of the Department of Personnel and Training, Government of India issued from time to time, to the extent relevant in the context of the Regional Rural Banks, shall apply to these rules.

(2) The provisions of relaxation of various conditions for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special category of persons as per the guidelines of the Department of Personnel and Training, Government of India issued from time to time, to the extent relevant in the context of the Regional Rural Banks, shall apply to these rules.

(3) A one-time relaxation of one year service during the entire service period will be given to such candidates who have passed Junior Associate of the Indian Institute of Bankers (JAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance for promotion both under the normal channel and fast track channel to the Group 'A' posts specified in column (3), against serial numbers 1, 2 and 3, of the First Schedule and one more year in case of such candidates who have passed Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB) of Indian Institute of Banking and Finance.

14. Power to interpret.- The power to interpret these rules shall vest in the Central Government and the Central Government may issue such administrative instructions or guidelines in consultation with the National Bank as may be necessary to give effect to and to carry out the provisions of these rules or to remove any difficulty in their implementation.

FIRST SCHEDULE

[See rule 3]

Category of posts in each Regional Rural Bank

Serial number	Classification	Category of posts	Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Group 'A'	Officer Junior Management (Scale I)	Assistant Manager
2	Group 'A'	Officer Middle Management (Scale II)	Manager
3	Group 'A'	Officer Middle Management (Scale III)	Senior Manager
4	Group 'A'	Officer Senior Management (Scale IV)	Chief Manager
5	Group 'A'	Officer Senior Management (Scale V)	Assistant General Manager
6	Group 'B'	Office Assistant (Multipurpose)	Office Assistant (Multipurpose)
7	Group 'C'	Office Attendant (Multipurpose)	Office Attendant (Multipurpose)

SECOND SCHEDULE

[See rule 2 (1)(e)]

List of Regional Rural Banks and their Sponsor Banks

Serial Number	Name of the Regional Rural Bank	Sponsor Bank	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	State Bank of India	Andhra Pradesh
2	Andhra Pragathi Grameena Bank	Syndicate Bank	Andhra Pradesh
3	Chaitanya Godavari Grameena Bank	Andhra Bank	Andhra Pradesh
4	Saptagiri Grameena Bank	Indian Bank	Andhra Pradesh
5	Arunachal Pradesh Rural Bank	State Bank of India	Arunachal Pradesh
6	Assam Gramin Vikash Bank	United Bank of India	Assam
7	Langpi Dehangi Rural Bank	State Bank of India	Assam
8	Bihar Gramin Bank	UCO Bank	Bihar
9	Madhya Bihar Gramin Bank	Punjab National Bank	Bihar
10	Uttar Bihar Gramin Bank	Central Bank of India	Bihar
11	Chhattisgarh Rajya Gramin Bank	State Bank of India	Chhattisgarh
12	Baroda Gujarat Gramin Bank	Bank of Baroda	Gujarat
13	Dena Gujarat Gramin Bank	Dena Bank	Gujarat
14	Saurashtra Gramin Bank	State Bank of India	Gujarat
15	Sarva Haryana Gramin Bank	Punjab National Bank	Haryana
16	Himachal Pradesh Gramin Bank	Punjab National Bank	Himachal Pradesh
17	Ellaquai Dehati Bank	State Bank of India	Jammu and Kashmir
18	J&K Grameen Bank	J&K Bank Ltd.	Jammu and Kashmir
19	Jharkhand Gramin Bank	Bank of India	Jharkhand
20	Vananchal Gramin Bank	State Bank of India	Jharkhand
21	Karnataka Vikas Grameena Bank	Syndicate Bank	Karnataka
22	Kaveri Grameena Bank	State Bank of Mysore	Karnataka
23	Pragathi Krishna Gramin Bank	Canara Bank	Karnataka
24	Kerala Gramin Bank	Canara Bank	Kerala
25	Central Madhya Pradesh Gramin Bank	Central Bank of India	Madhya Pradesh
26	Madhyanchal Gramin Bank	State Bank of India	Madhya Pradesh
27	Narmada Jhabua Gramin Bank	Bank of India	Madhya Pradesh
28	Maharashtra Gramin Bank	Bank of Maharashtra	Maharashtra
29	Vidharbha Konkan Gramin Bank	Bank of India	Maharashtra
30	Manipur Rural Bank	United Bank of India	Manipur
31	Meghalaya Rural Bank	State Bank of India	Meghalaya
32	Mizoram Rural Bank	State Bank of India	Mizoram
33	Nagaland Rural Bank	State Bank of India	Nagaland
34	Odisha Gramya Bank	Indian Overseas Bank	Odisha
35	Utkal Grameen Bank	State Bank of India	Odisha
36	Puduvai Bharthiar Grama Bank	Indian Bank	Puducherry
37	Malwa Gramin Bank	State Bank of Patiala	Punjab

IndiaCode

38	Punjab Gramin Bank	Punjab National Bank	Punjab
39	Sutlej Gramin Bank	Punjab and Sind Bank	Punjab
40	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank	Bank of Baroda	Rajasthan
41	Rajasthan Marudhara Gramin Bank	State Bank of Bikaner and Jaipur	Rajasthan
42	Pallavan Grama Bank	Indian Bank	Tamil Nadu
43	Pandyan Grama Bank	Indian Overseas Bank	Tamil Nadu
44	Telangana Grameena Bank	State Bank of Hyderabad	Telangana
45	Tripura Gramin Bank	United Bank of India	Tripura
46	Allahabad UP Gramin Bank	Allahabad Bank	Uttar Pradesh
47	Baroda UP Gramin Bank	Bank of Baroda	Uttar Pradesh
48	Gramin Bank of Aryavart	Bank of India	Uttar Pradesh
49	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Union Bank of India	Uttar Pradesh
50	Prathama Bank	Syndicate Bank	Uttar Pradesh
51	Purvanchal Bank	State Bank of India	Uttar Pradesh
52	Sarva UP Gramin Bank	Punjab National Bank	Uttar Pradesh
53	Uttarakhand Gramin Bank	State Bank of India	Uttarakhand
54	Bangiya Gramin Vikash Bank	United Bank of India	West Bengal
55	Paschim Banga Gramin Bank	UCO Bank	West Bengal
56	Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank	Central Bank of India	West Bengal

IndiaCode

THIRD SCHEDULE

[See rules 5(1), 8(1) and 12]

Appointment by direct recruitment and by promotion

Sl. No.	Name of the post and classification	Mode of appointment	Qualifications for direct recruitment	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Officer Junior Management (Scale I) Group 'A'	(i) 50% by direct recruitment and 50% by promotion; (ii) 50% of the vacancies for promotion shall be filled under normal channel and 50% under fast track channel.	**Essential qualification:** (I) Bachelor's degree of a recognised University in any discipline or its equivalent. **Note:** Preference will be given to candidates possessing degree in Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Piscic ulture, Agricultural Marketing and Cooperation, Information Technology, Management, Law, Economics or Accountancy; (II) Proficiency in local language. **Note1:** Candidates who have studied the language of the State in standard VIII or above in Boards of Education or School recognised by the Government or candidates possessing any certificate to the effect for standard VIII or above will be considered proficient in that local language. Note 2: (i) Candidate not having proficiency in local language at the time of selection, will be given a time of six months from the date of joining, to acquire the proficiency. (ii) The period of six months may be extended by the Board for a further period of six months which	Above 18 years but below 30 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or candidates belonging to other special categories, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard)

			may be extended by a further period of six months, at a time, by recording the reasons in writing. Provided that no such extension shall be granted beyond the probation period. **Desirable:** Working knowledge of Computer	

Selection process for direct recruitment	Eligibility for promotion	Selection process for promotion	Composition of Committee for promotion
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) The selection process includes examination (written or online) and Interview; (ii) The division of marks for the examination (written or online) and interview shall be as given in the table below: 1 \| Examination (written or online) \| 80 marks* 2 \| Interview \| 20 marks* 3 \| Total \| 100 marks * Implies weightage (iii) Candidates in order of their merit in the examination (written or online) upto the ratio of 3:1 in proportion to total number of vacancies will be called for interview; (iv) Candidates securing a minimum of 40% marks in the interview shall be eligible for consideration in order of their merit (in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, minimum of 35% marks in the interview shall be considered); (v) List of successful candidates on the basis of ranking accorded to them in the combined performance of the examination and interview shall be prepared separately for the General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, (separate State and Union territory wise merit list shall be prepared based on merit	Promotion shall be made from amongst the employees holding the post of Office Assistant (Multipurpose) possessing the following experience and/qualification: **(I) Normal channel:** (i) must have ten years' experience as Office Assistant (Multipurpose) on full time and regular basis; (ii) must have been confirmed in the feeder grade. (II) Fast Track Channel: (i) must have six years' service as Office Assistant (Multipurpose) on full time and regular basis'; (ii) must possess bachelor's degree from a recognised University; (iii) must have been confirmed in the feeder grade.	(i) The selection shall be on the basis of performance in the written test, interview and last five years' performance appraisal reports as per the division of marks given below: 1 \| Written Test \| 50 marks 2 \| Interview \| 20 marks 3 \| Performance Appraisal Reports \| 30 marks 4 \| Total \| 100 Marks (ii) The written test shall comprise test in General English or Hindi and General Banking knowledge and 50 marks allotted to written test shall be further divided as under: 1 \| General English or Hindi \| 20 marks 2 \| General Banking Knowledge \| 30 marks 3 \| Total \| 50 marks **(iii) In the case of normal channel,-** (a) the minimum qualifying marks shall be 50% in aggregate of written test, interview and performance appraisal reports; (b) selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade, in order of their seniority in the feeder grade. **(iv) In the case of fast track channel,-** (a) the minimum qualifying marks shall be 60% in aggregate of written test, interview and performance	The Committee for considering promotion shall consist of the following, namely:- 1. The Chairman of the Regional Rural Bank concerned - Chairman 2. An officer nominated by the Sponsor Bank not below the rank of Assistant General Manager - Member 3. An officer nominated by the National Bank not below the rank of Assistant General Manager - Member Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.

and the available preference given by the candidates in the application form) for provisional allotment of the candidates.		appraisal reports; (b) selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade in order of their merit, based on the aggregate of their marks in written test, interview and performance appraisal reports. (v) There shall be common written examination and interview for both the channels.	

Sl. No.	Name of the post and classification	Mode of appointment	Qualifications for direct recruitment	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Officer Middle Management (Scale II) Group 'A'	(i) 25 % by direct recruitment and 75% by promotion ; (ii) Out of the 25% by direct recruitment, 10% from Specialist cadre, namely, Information Technology, Agriculture, Treasury, Law, Marketing, Chartered Accountants etc. and 15% from experienced officers (iii) 50% of the vacancies for promotion shall be filled under normal channel and 50% under fast track channel.	*(I) Information Technology:* (i) Bachelor's degree from a recognised University in Electronics/Communication/ Computer Science/Information Technology or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate; and (ii) One year experience in the relevant field. **Desirable**: Certificate in ASP, PHP, C++, Java, VB, VC, OCP, etc. (II) Chartered Accountants: One year experience as a Chartered Accountant. (III) Law Officer: (i) Bachelor's degree from a recognised University in Law or its equiv alent with a minimum of 50% marks in aggregate; and (ii) Two years' experience as an advocate or has worked as Law Officer in Banks or Financial Institutions for a period of not less than two years. (IV) Treasury Manager: Chartered Accountant or MBA in Finance from a reputed Institute with one year experience in the relevant field. (V) Marketing Officer: MBA in Marketing from any Institute of repute with one year experience in the relevant field. (VI) Agricultural Officer: (i) Bachelor's degree from a recognised University in any discipline in Agriculture, Horticulture, Dairy, Animal Husbandry,	Above 21 years but below 32 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or candidates belonging to other special categories, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard)

			Forestry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture or its equivalent, with a minimum of 50% marks in aggregate; and (ii) Two years' experience in the relevant field. (VII) General Banking Officer: (i) Bachelor's degree from a recognised University in any discipline or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate; and (ii) Two years' experience as an officer in a Bank or a Financial Institution. **Note:** Preference will be given to the candidates having degree/diploma in Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Co-operation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy.	

IndiaCode

Selection process for direct recruitment	Eligibility for promotion	Selection process for promotion	Composition of Committee for promotion
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) The Selection shall be made on the basis of examination (written or online) and interview as per the division of marks given below: Examination (written or online) — 80 marks* Interview — 20 marks* Total — 100 marks * Implies weightage (ii) Candidates in order of their merit in the examination (written or online) upto the ratio of 3:1 in proportion to total number of vacancies will be called for interview; (iii) Candidates securing a minimum of 40% marks in the interview shall be eligible for consideration in order of their merit (in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, minimum of 35% marks in the interview shall be considered);	Promotion shall be made from amongst the officers holding the post of Officer Junior Management (Scale I) possessing the following experience and/qualification: **(I) Normal channel:** (i) must have eight years' experience as Officer Junior Management (Scale I) on full time and regular basis; (ii) must have been confirmed in the feeder grade. (II) Fast Track Channel: (i) must have six years' service as Officer Junior Management (Scale	(i) The selection shall be on the basis of performance in the written test, interview and performance appraisal reports for preceding five years as per the division of marks given below:- Written Test — 50 marks Interview — 20 marks Performance Appraisal Reports — 30 marks Total — 100 Marks (ii) 50 marks allotted to written test shall be further divided as under :- Part (A) — 25 marks Part (B) — 25 marks (iii) The candidates shall be required to appear for a written test comprising of two parts namely Part (A) covering Banking Law and Practice of Banking and Part (B) covering Credit Policy, Credit Management including Priority Sector, Economics and Management. **(iv) In the case of normal channel,-**	The Committee shall consist of the following, namely :- 1. The Chairman of the Regional Rural Bank concerned - Chairman 2. An officer nominated by the Sponsor Bank not below the rank of Assistant General Manager – Member 3. An officer nominated by the National Bank not below the rank of Assistant General Manager - Member Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled

(iv) List of successful candidates on the basis of ranking accorded to them in the combined performance of the examination and interview shall be prepared separately for the General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, for provisional allotment of the candidates.	I) on full time and regular basis; (ii) must have been confirmed in the feeder grade.	(a) the minimum qualifying marks shall be 50% in aggregate of written test, interview and performance appraisal reports; (b) selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade, in order of their seniority in the feeder grade. **(v) In the case of fast track channel,-** (a) the minimum qualifying marks shall be 60% in aggregate of written test, interview and performance appraisal reports; (b) selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade in order of their merit, based on the aggregate of their marks in written test, interview and performance appraisal reports. (vi) There shall be common written examination and interview for both the channels.	Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.

Sl. No.	Name of the post and classification	Mode of appointment	Qualifications for direct recruitment	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Officer Middle Management (Scale III) Group 'A'	(i) 10% by direct recruitment and 90% by promotion; (ii) 50% of the vacancies for promotion shall be filled under normal channel and 50% under fast track channel.	(i) Bachelor's degree from a recognised University in any discipline or its equivalent with a minimum of 50% marks in aggregate; and (ii) Minimum five years' experience as an Officer in any Bank or Financial Institution. **Note:** Preference will be given to the candidates having Degree/Diploma in Banking, Finance, Marketing, Agriculture, Horticulture, Forestry, Animal Husbandry, Veterinary Science, Agricultural Engineering, Pisciculture, Agricultural Marketing and Co-operation, Information Technology, Management, Law, Economics and Accountancy.	Below the age of 40 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or candidates belonging to other special categories, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard)

Selection process for direct recruitment	Eligibility for promotion	Selection process for promotion	Composition of Committee for promotion
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) The Selection shall be made on the basis of examination (written or online) and interview as per the division of marks given below:-	Promotion shall be made from amongst the officers holding the post of Officer Middle Management (Scale II) possessing	**Normal Channel:** (i) The selection shall be on the basis of performance in the interview and performance appraisal reports for preceding six years as per the	The Committee shall consist the following persons, namely :- 1. The Chairman of the Regional Rural Bank

IndiaCode

Examination (written or online)	80 marks*
Interview	20 marks*
Total	100 marks

* Implies weightage

(ii) Candidates in order of their merit in the examination (written or online) upto the ratio of 3:1 in proportion to total number of vacancies will be called for interview;

(iii) Candidates securing a minimum of 40% marks in the interview shall be eligible for consideration in order of their merit (in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, minimum of 35% marks in the interview shall be considered);

(iv) List of successful candidates on the basis of ranking accorded to them in the combined performance of the examination and interview shall be prepared separately for the General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, for provisional allotment of the candidates.

the following experience and/qualification:

(I) Normal channel:

(i) must have seven years' experience as Officer Middle Management (Scale II) on full time and regular basis;

(ii) must have been confirmed in the feeder grade.

(II) Fast Track Channel:

(i) must have five years' service as Officer Middle Management (Scale II) on full time and regular basis;

(ii) must have been confirmed in the feeder grade.

division of marks given below:

Interview	40 marks
Performance Appraisal Reports	60 marks
Total	100 Marks

(ii) Performance Appraisal Reports for the preceding six years shall be considered for the purpose of awarding marks for promotion.

Fast Track Channel:

(i) The selection shall be on the basis of performance in the written test, interview and performance appraisal reports for preceding six years as per the division of marks given below:

Written Test	50 marks
Interview	20 marks
Performance Appraisal Reports	30 marks
Total	100 Marks

(ii) 50 marks allotted to written test shall be further divided as under:-

Part (A)	25 marks
Part (B)	25 marks

(iii) The candidates shall be required to appear for a written test comprising two parts namely:-

Part (A) covering Banking Law and Practice of Banking;

and Part (B) covering Credit Policy, Credit Management including Priority Sector, Economics and Management.

(iv) In the case of normal channel,-

(a) the minimum qualifying marks in the interview shall be 50%;

(b) the minimum qualifying marks in the performance appraisal reports shall be 50%;

(c) the minimum qualifying marks shall be 50% in aggregate of interview and performance appraisal reports; and

(d) selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade, in order of their seniority in the feeder grade.

concerned

– Chairman

2. An officer nominated by the Sponsor Bank not below the rank of Assistant General Manager

– Member

3. An Officer nominated by the National Bank not below the rank of Assistant General Manager

- Member

Note:- If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as an additional member of the Committee.

IndiaCode

		(v) In the case of fast track channel,- (a) the minimum qualifying marks shall be 60% in aggregate of written test, interview and performance appraisal reports; (b) selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade in order of their merit, based on the aggregate of their marks in written test, interview and performance appraisal reports.	

Sl. No.	**Name of the post and classification**	**Mode of appointment**	**Qualifications for direct recruitment**	**Age limit for direct recruitment**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Officer Senior Management (Scale IV) Group 'A'	100% by promotion	N.A.	N.A.

Selection process for direct recruitment	Eligibility for promotion	Selection process for promotion	Composition of Committee for promotion
(6)	(7)	(8)	(9)
N.A.	Promotion shall be made from amongst the officers holding the post of Officer Middle Management (Scale III) on full time and regular basis and having four years' experience in the said post.	(i) The selection shall be on the basis of combined performance in the interview and performance appraisal reports for preceding four years as per the division of marks given below: Interview — 40 marks Performance Appraisal Reports — 60 marks Total — 100 Marks (ii) Selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade in order of their merit, based on the aggregate of their marks in interview and performance appraisal reports.	The Committee shall consist of the following, namely:- 1. The Chairman of the Regional Rural Bank concerned – Chairman 2. An officer nominated by the Sponsor Bank not below the rank of Assistant General Manager – Member 3. An officer nominated by the National Bank not below the rank of Assistant General Manager – Member Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes from the

IndiaCode

				Regional Rural Bank or Sponsor Bank or National Bank as an additional member of the Committee.

Sl. No.	**Name of the post and classification**	**Mode of appointment**	**Qualifications for direct recruitment**	**Age limit for direct recruitment**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Officer Senior Management (Scale V) Group 'A'	100% by promotion	N.A.	N.A.

Selection process for direct recruitment	**Eligibility for promotion**	**Selection process for promotion**	**Composition of Committee for promotion**
(6)	(7)	(8)	(9)
N.A.	Promotion shall be made from amongst the officers holding the post of Officer Senior Management (Scale IV) on full time and regular basis and having three years' experience in the said post.	(i) The selection shall be on the basis of combined performance in the interview and performance appraisal reports for preceding six years as per the division of marks given below: Interview — 40 marks Performance Appraisal Reports — 60 marks Total — 100 Marks (ii) Selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade in order of their merit, based on the aggregate of their marks in interview and performance appraisal reports.	The Committee shall consist of the following, namely:- 1. The General Manager of the Regional Rural Bank Division of the Sponsor Bank - Chairman 2. One of the Regional Rural Bank Chairmen of the same Sponsor Bank, to be nominated by the Sponsor Bank - Member 3. An Officer nominated by National Bank not below the rank of General Manager – Member **Note:** If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes from the Regional Rural Bank or Sponsor Bank or National Bank as an additional member of the Committee.

IndiaCode

Sl. No.	Name of the post and classification	Mode of appointment	Qualifications for direct recruitment	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Office Assistant (Multipurpose) Group 'B'	(i) 75% by direct recruitment and 25% by promotion; (ii) 70% of the vacancies for promotion shall be filled under normal channel	**Essential qualification:** (I) Bachelor's degree or its equivalent of a recognised University in any discipline; (II) Proficiency in local language. **Note1:** Candidates who have studied the language of the State in standard VIII or above in Boards of Education or School recognised by the Government or candidates possessing any certificate to the effect for	Between 18 years and 28 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or candidates belonging to other special categories, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard)

		and 30% under fast track channel.	standard VIII or above will be considered proficient in that local language. **Note 2:** (i) Candidate not having proficiency in local language at the time of selection, will be given a time of six months from the date of joining, to acquire the proficiency. (ii) The period of six months may be extended by the Board for a further period of six months which may be extended for a further period of six months, at a time, by recording the reasons in writing, provided that no such extension shall be granted beyond the probation period. **Desirable:** Working knowledge of Computer.	

Selection process for direct recruitment	Eligibility for promotion	Selection process for promotion	Composition of Committee for promotion
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) The Selection shall be made on the basis of examination (written or online); (ii) List of successful candidates on the basis of ranking accorded to them in the performance of the examination (written or online) shall be prepared separately for the General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, (separate State and Union territory wise merit list shall be prepared based on merit and the available preference given by the candidates in the application form) for provisional allotment of the candidates.	Promotion shall be made from amongst the employees holding the post of Office Attendant (Multipurpose) possessing the following experience and/qualification: **(I) Normal channel:** (i) must have ten years' experience as Office Attendant (Multipurpose) on full time and regular basis; (ii) must have passed 10th standard; (iii) must have been confirmed in the feeder grade. **(II) Fast Track channel:** (i) must have five years' experience as Office Attendant (Multipurpose) on full time and regular basis; (ii) graduation from a recognised university;	(i) The selection shall be on the basis of combined performance in the written test and interview as per the division of marks, given below: Written Test — 70 marks Interview — 30 marks Total — 100 marks (ii) The candidates shall be required to appear for a written test comprising test in English or Hindi and Arithmetic. 70 marks allotted to written test shall be further divided as under: English or Hindi — 35 marks Arithmetic — 35 marks Total — 70 marks **(iii) The minimum qualifying marks shall be 40% in aggregate of written test and interview;** (iv) Selection of candidates for promotion shall be made from amongst the successful candidates in the feeder grade in order of their merit, based on the aggregate of their marks in written test and interview, prepared separately for the General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories for provisional	The Committee shall consists of the following, namely:- 1. The General Manager and where there is no General Manager, an officer nominated by the Board of the Regional Rural Bank - Chairman 2. An officer of the Regional Rural Bank concerned not below the rank of officer scale II as nominated by the Board - Member 3. An Officer nominated by the Sponsor Bank - Member 4. An Officer nominated by National Bank – Member Note: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes from the Regional Rural Bank or Sponsor Bank or National Bank as an additional member

	(iii) must have been confirmed in the feeder grade.	allotment of the candidates; (v) There shall be common written examination and interview for both the channels.	of the Committee.

Sl. No.	Name of the post and classification	Mode of appointment	Qualifications for direct recruitment	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Office Attendant (Multipurpose) Group 'C'	100% by direct recruitment	A Minimum of Tenth Standard Pass or equivalent from an Education Board recognised by the State Government and other skills required for specific jobs, as may be decided by the Board.	Above 18 years but below 28 years (relaxation of age in case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or candidates belonging to other special categories, in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).

Selection process for direct recruitment	Eligibility for promotion	Selection process for promotion	Composition of Committee for promotion
(6)	(7)	(8)	(9)
(i) Selection shall be made on the basis of written test; ii) The modalities of the written test shall be decided by the respective Board of Regional Rural Bank in consultation with Sponsor banks; (iii) Lists of successful candidates for appointment to Office Attendant (Multipurpose) shall be prepared on the basis of ranking accorded to them in the written Test for General, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories as per the instructions or orders issued by the Central Government from time to time, separately; (iv) The Committee for selection shall consists of the following, namely:- 1. The General Manager and where there is no General Manager, an officer nominated by the Board of the Regional Rural Bank - Chairman 2. An officer of the Regional Rural Bank concerned not below the rank of officer scale II as nominated by the Board - Member	N.A.	N.A.	N.A.

IndiaCode

3. An Officer nominated by the Sponsor Bank - Member **Note**: If none of the members of the Committee belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Board may nominate an officer of suitable position belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes from the Regional Rural Bank or Sponsor Bank as an additional member of the Committee.			

[F. No. 7/25/2012-RRB]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.03.31 14:26:01 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.